बाइक-साइकिल की भिडंत में एक की मौत चालक की मौके पर मौत, एक घायल

शहडोल, देशबन्धु। जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के ठूंठाटोला में एक तेज रफ्तार बाइक साइकिल से टकरा गई। हादसे में साइकिल सवार को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घायल साइकिल सवार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

जानकारी के अनुसार, जयसिंहनगर के ठूंठाटोला निवासी पवनदास पाव पिता गेंदलाल पाव (25) मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। इस दौरान गांव के तिराहे पर सामने से आ रही साइकिल से उसकी बाइक टकरा गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, मोटरसाइकिल काफी तेज रफ्तार में थी। टक्कर के बाद साइकिल सवार युवक दूर जाकर गिर पड़ा, जबकि बाइक कुछ दूर तक घिसटती चली गई। हादसे में बाइक सवार पवनदास पाव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस की टीम ने घायल युवक को अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

मोटरसाइकिल चालक की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया है। होली के त्योहार के बीच हुई इस दर्दनाक दुर्घटना से मृतक का परिवार गहरे सदमे में है। खास बात यह है कि घायल और मृतक दोनों पड़ोसी थे। जयसिंहनगर थाना प्रभारी एसपी चतुर्वेदी ने बताया कि हादसे में मोटरसाइकिल चालक पवनदास पाव की मौके पर मौत हो गई है, जबकि साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

चना, मसूर और सरसों के पंजीयन की अंतिम तिथि आज

पन्ना, देशबन्धु। भारत सरकार की प्राईज सपोर्ट स्कीम अंतर्गत रबी वर्ष 2024-25 (विपणन वर्ष 2025-26) के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर चना, मसूर एवं सरसों के लिए पंजीयन की कार्यवाही 17 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। पन्ना जिले में गेहूं का पंजीयन कार्य जिन केंद्रों पर किया जा रहा है, उन ही केंद्रों पर चना, मसूर, सरसों का भी पंजीयन कार्य किया जा रहा है। जिले में किसानों के नि:शुल्क पंजीयन के लिए सहकारी समितियों के कुल 46 पंजीयन केन्द्र बनाए गए हैं। सोमवार को चना, मसूर एवं सरसों के पंजीयन के लिए अंतिम तिथि है। गेंहू पंजीयन कार्य आगामी 31 मार्च तक होगा। जिला आपूर्ति अधिकारी देवेन्द्र खोबरिया ने सभी किसान भाईयों से अपील की है कि अब तक पंजीयन से शेष रहे किसान भाई अपना पंजीयन अविलंब कराएं और फसल उपार्जन पर सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठाएं। जिले के 334 कियोस्क सेंटर के जरिए भी निर्धारित अधिकतम 50 रूपए प्रति पंजीयन की दर से भी पंजीयन कराया जा सकता है। स्वयं के मोबाइल से एमपी किसान एप के माध्यम से भी नि:शुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। अब तक 12 हजार 242 किसानों द्वारा गेहूं, 2 हजार 787 द्वारा चना, 4 हजार 487 द्वारा मसूर और 3 हजार 806 किसानों द्वारा सरसों की फसल विक्रय के लिए पंजीयन कराया गया है।

राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कल

पन्ना, देशबन्धु। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार, 18 मार्च को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सांय 4 बजे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई है।

मोहद्रा में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र के नए भवन के स्थान परिवर्तन का विरोध शुरू

पुराने स्थान पर ही निर्माण कराए जाने की मांग

पन्ना, देशबन्धु। जिले की मोहद्रा ग्राम पंचायत अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 और 8 के आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन पुराने शासकीय भवन में बीते कई दशकों से हो रहा है भवन जर्जर हो जाने के कारण नवीन भवन स्वीकृत किया गया है इसकी राशि भी आवंटित हो चुकी है।

लेकिन कुछ लोगों द्वारा यह नवीन भवन किसी दूसरे स्थान और अन्य वार्ड पर निर्माण कराया जा रहा है जिसका अब गांव में विरोध होने लगा है वार्ड क्रमांक 7 और 8 के निवासियों ने गत दिवस पन्ना कलेक्टर एवं महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सोपा है पत्र में स्थानीय महिलाओं का कहना है कि चुकी नवीन आंगनबाड़ी भवन अन्यत्र और दूर बनाये जाने से गर्भवती महिलाओ, बच्चों और अन्य लोगों को असुविधा होगी, पुराना

ग्रामीणों ने कलेक्टर और परियोजना अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

भवन जर्जर हो चुका है यह शासकीय भवन है 50 वर्षो से यहां आंगनबाड़ी केंद्र संचालित था अब किराए के मकान में चल रहा है यहां जमीन भी रिक्त पड़ी हुई है इस कारण से नवीन भवन का निर्माण भी इसी स्थान पर कराया जाना चाहिए लेकिन कुछ लोग इसका स्थान परिवर्तन कर अपने निजी हित में अपने पास निर्माण करना चाहते हैं जिस वार्ड क्रमांक 7 और 8 की निवासियों में आक्रोश है इसको लेकर महिलाओं ने अपना विरोध जताया है। कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी को पत्र देकर बताया कि नवीन भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है इसका निर्माण पुराने स्थान पर ही कराया जाए, उपलब्ध शासकीय भूमि पर ही निर्माण कराने की मांग की है मांग पत्र सौंपने वालों में श्रीमती सीमा सुरेहा, संगीता अग्रवाल, तजिया अहिरवार, शीला अहिरवार, ज्ञानवाई अहिरवार, उर्मिला सहित वार्ड की महिलाएं और पुरुषों ने ज्ञापन सौंपा है।

सार-समाचार

कुत्ते और बंदर की दोस्ती, एक दूसरे के बिना नहीं खाते खाना

उमरिया, देशबन्धु। उमरिया जिले के पाली नगर में एक अनूठी दोस्ती का नजारा देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 2 में एक कुत्ते और बंदर की दोस्ती का वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोगों ने कुत्ते का नाम लूसी और बंदर का नाम मुन्नी बाई रखा है। यह दोनों दोस्त दिनभर साथ रहते हैं। इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि एक-दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते। मोहल्ले के लोग इन दोनों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करते हैं। वार्ड के निवासी राजेश पटेल ने बताया कि पिछले एक महीने से यह अनोखा नजारा देख रहे हैं। दोनों दोस्त दिनभर मस्ती करते हैं और एक-दूसरे से लिपटकर सोते हैं। स्थानीय निवासी रामचंद्र शर्मा के अनुसार, दोनों जानवर किसी को परेशान नहीं करते। इस अनूठी दोस्ती को देखने के लिए आसपास के इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं।

युवक की डूबने से मौत, जोहिला नदी में मिला शव, मछली पकड़ने का करता था काम

उमरिया, देशबन्धु। जिले के नौरोजबाद थाना क्षेत्र के ग्राम टकटई बैरंग टोला निवासी मोहनलाल बैगा पिता स्व. समनू बैगा की जोहिला नदी (कुरकुचा घाट) में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

जानकारी के अनुसार, मोहनलाल बैगा मछली पकड़ने का कार्य करता था। वह 11 मार्च को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। बाद में उसका शव नदी के किनारे पानी में मिला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम किए जाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मोहनलाल बैगा की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजन सदमे में हैं और गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन प्रभावित परिवार को आवश्यक आर्थिक सहायता और सहयोग प्रदान करेगा। यह घटना गर्मी के मौसम में जलस्त्रोतों से जुड़े खतरों को उजागर करती है। पुलिस एवं प्रशासन ने नागरिकों से नदी-तालाबों के किनारे सावधानी बरतने और गहरे पानी में जाने से बचने की अपील की है। ग्रामीणों को भी ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

मां शारदा देवी मंदिर देवगंवाखुर्द में शोभायात्रा के साथ कथा शुरू

नौरोजाबाद, देशबन्ध। रेल्वेस्टेशन के पास अनादिकाल से विराजमान मां शारदा देवी मंदिर में आज विशाल कलश शोभायात्रा निकाली जायेगी। मां शारदा देवी मंदिर के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र सिंह पटेल जी ने जानकारी देते हुए बताया कि मां के दरबार में हमेशा तीसरे वर्ष हिन्दू रीत रिवाज के अनुसार हिन्दू धर्म ग्रंथों से कथा का अयोजन किया जाता है जिसमे आसपास के सभी गांव के लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है और इसी तारतम्य में मां की असीम कृपा से दिनाँक 16/03/2025 से विशाल कलश शोभायात्रा के साथ श्रीराम कथा की शुरुआत जो कि से दिनांक 23/03/2025 को कन्या पूजन भोज, वृहद भंडारा के साथ समापन किया जाएगा।

इस वर्ष श्रीराम कथा वाचिका पूज्या आराधना देवी जी श्रीधाम कांशी वाराणसी से अपने सुंदर वाणी से कथा का रसपान कराने हमारे बीच आ रही है और आज कलश यात्रा के बाद अपनी मधुर वाणी से कथा का प्रारंभ करेंगी। कार्यकर्म हेतु पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह है कि आज दस बजे मां शारदा देवी मंदिर में अपनी हाजरी लगाकर मां के दर्शन कर कलश यात्रा में शामिल होकर अपने जीवन को गौरवान्वित करे। आज ग्यारह बजे मां शारदा माता की पुजा अराधना करते हुए बैंड बाजा ढोल नगाड़े सहित मां के लहराते हुए ध्वजा पताखा के साथ पालकी में सवार कथा वाचिका के साथ विशाल कलश शोभायात्रा निकाली जायेगी जो कि शारदा देवी मंदिर से प्रारंभ होकर, विजय चौरसिया होटल तिराहा मेन रोड होते हुए मुन्नू बर्मन के घर पास देवगंवाखुर्द में प्रवेश करते हुए विनोद सिंह के आवास तिराहा होते हुए मां शारदा देवी मंदिर के लिए वापस भ्रमण करते हुए कथा पंडाल में समापन किया जाएगा तत्पश्चात मुख्य कथा वाचिका पूज्य अराधना देवी जी श्रीधाम कांशी जी के द्वारा अपनी मधुर वाणी से संगीतमय श्रीराम कथा का रसपान कराएंगी 23/03/2025 रविवार हवन, कन्या भोज एवम विशाल भंडारापूजन एवम परायण द्व सुबह 07ः बजे से 11ः बजे तककथा का समय द्व दोपहर 02ः बजे से श्री हरि इच्छा तकमां शारदा देवी प्रबंधन समिति ने आप सभी को अयोजन में सम्मिलित होकर कथा श्रवन हेतु सादर आमंत्रित किया गया है।

गेहूं बेचने के लिए 31 मार्च तक करा सकते हैं पंजीयन

उमरिया, देशबन्धु। जिले में किसानों को गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन कराने का अवसर दिया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी बी. एस. परिहार ने बताया कि पंजीयन का काम जिले के 35 खरीदी केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए एमपी ऑनलाइन और कॉमन सर्विस सेंटर पर भी नि:शुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब तक जिले में 3,615 किसान अपना पंजीयन करवा चुके हैं, यह प्रक्रिया लगातार जारी है।

जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन उमरिया के माध्यम से किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार, पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 मार्च से 5 मई 2025 तक जिले के 35 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर की जाएगी। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य शासन द्वारा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस प्रदान किया जाएगा। इस तरह, किसानों को कुल 2,600 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। यह समर्थन मूल्य उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने तय समय-सीमा में अपना पंजीयन कराया होगा।

जिले में गेहूं विक्रय करने के इच्छुक किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और 31 मार्च तक अपना पंजीयन सुनिश्चित करें। किसान नजदीकी पंजीयन केंद्र या कियोस्क सेंटर पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर पंजीयन करवा कर इस योजना का लाभ उठाएं।

नरवाई जलाने पर लगाया प्रतिबंध

पन्ना, देशबन्धु। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत संपूर्ण पन्ना जिले में रबी फसलों की कटाई पश्चात नरवाई जलाने पर आगामी दो माह तक प्रतिबंध लगाया है, जिसके तहत किसानों द्वारा गेहूं, चना, जौ, मसूर, मटर इत्यादि रबी फसलों की कटाई के उपरांत शेष नरवाई जलाने की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही फसल कटाई के लिए कम्बाईन हार्वेस्टर में भूसा मैनेजमेंट सिस्टम का होना भी अनिवार्य किया गया है अन्यथा संबंधित किसान के साथ हार्वेस्टर संचालक के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। संबंधित एसडीएम सहित उप संचालक कृषि, नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। नरवाई जलाने वाले भूमि स्वामियों के विरूद्ध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार एवं निर्धारित अधिनियम अंतर्गत तथा म.प्र. शासन के पर्यावरण विभाग की जारी अधिसूचना के प्रावधान अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि जिले के विभिन्न स्थानों पर किसानों द्वारा फसल कटाई के बाद शेष नरवाई जलाने से फसलों को लाभ पहुंचाने वाले तत्व भी जल जाते हैं। साथ ही धुआं एवं अग्नि दुर्घटना की संभावना भी बढ़ती है। इससे वातावरण दूषित होने के साथ जन स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत हानिकारक है।

घर के सामने खड़ी जीप में लगी अचानक आग

मची अफरा-तफरी, समय रहते बुझाई

शहडोल, देशबन्धु। घर के सामने खड़ी जीप में अचानक आग लग जाने का मामला सामने आया है। घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप शनिवार की शाम घटी है। जीप में लगी आग देख लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, जिससे घर में मौजूद लोगों को इसकी जानकारी लगी। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। पुलिस और फायर वाहन को मामले की जानकारी दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते ही आग बुझा ली गई, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई।

जानकारी के अनुसार, ब्यौहारी बस स्टैंड के समीप पीयूष दूबे के घर के सामने उनकी जीप खड़ी हुई थी। दुबे ने बताया कि वह अपनी जीप को होली के पहले घर से सटाकर खड़ी कर रखे थे। नहीं तो उनका वाहन सड़क के किनारे खड़ा रहता है। अचानक शनिवार की शाम उसमें आग लग गई, आग लगने की जानकारी उन्हें पड़ोस के लोगों ने हल्ला कर दी।इसके बाद वह अपने घर से बाहर निकले और आस पड़ोस के लोगों की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की। आग विकराल रूप में थी, तभी लोगों ने मामले की जानकारी दमकल कर्मियों और पुलिस को दी। जानकारी लगते ही पुलिस व दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया गया।

हो सकती थी बड़ी घटना-वहीं, स्थानीय लोगों के अनुसार जिस स्थान पर वाहन खड़ा था, वह एक रिहायशी क्षेत्र है और हर घर में गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। गनीमत रही कि सही वक्त में आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। घर से सटकर यह जीप खड़ी हुई थी और अचानक अज्ञात कारणों से उस पर आग लग लगी और घर के लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं लग पाई। जब पड़ोस के लोगों ने धुआं निकलते देखा, तब जाकर इसकी जानकारी लगी। घटना देख पड़ोस के लोगों में काफी डर उत्पन्न हो गया था, क्योंकि आसपास घनी आबादी है।

बस स्टैंड में तैनात प्रधान आरक्षक भी पहुंचे थे मौके पर-प्रधान आरक्षक सुखेंद्र त्रिपाठी ब्यौहारी थाने में पदस्थ हैं। उन्होंने बताया कि वह होली की ड्यूटी बस स्टैंड में कर रहे थे। घटना बस स्टैंड से महज कुछ मीटर की दूरी की है। हो हल्ला सुनकर प्रधान आरक्षक मौके पर दौड़ गए और लोगों के साथ आग को बुझाने में लग गए। जब तक दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और किसी तरह से आग को बुझा लिया गया।

झाड़ियों में लगी आग को बस्ती में पहुंचने से पहले पुलिस ने बुझवाया, बड़ा घटना टली

शहडोल, देशबन्धु। खैरहा पुलिस की सतर्कता से घरों में आग लगने से बड़ा हादसा टल गया। समय रहते मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल वाहन को बुलाकर स्थानीय लोगों की मदद से दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। झाड़ियों में लगी आग बस्ती तक पहुंचने वाली थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में आ गई।

जानकारी के अनुसार, खैरहा थाना क्षेत्र के नगर में बीती रात अचानक झाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। थाना प्रभारी ने तत्काल दमकल वाहन को बुलाया और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस व दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि जिस स्थान पर आग लगी थी, वहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पर बस्ती थी। हमारी प्राथमिकता थी कि आग को बस्ती तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाए। सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों की सहायता व स्थानीय लोगों के सहयोग से आग को बुझाया गया।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती और दमकल वाहन को मौके पर नहीं बुलाया जाता तो आग बस्ती तक पहुंच सकती थी।

जिससे भारी नुकसान हो सकता था। थाना प्रभारी की सतर्कता से आग समय रहते बुझा ली गई, जिसके लिए ग्रामीणों ने पुलिस को धन्यवाद दिया।

पुलिस टीम को मिलेगा सम्मान

इस घटना को लेकर छीरहटी की जनपद सदस्य शिल्पी सौरभ पांडे ने थाना प्रभारी एवं उनकी टीम को जल्द ही सम्मानित करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई की और आग को बस्ती तक पहुंचने से पहले ही बुझा दिया।

जिले में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, लोगों से भी की सहयोग की अपील

उमरिया, देशबन्धु। जिले में बाल श्रम रोकने, बच्चों के शोषण को समाप्त करने और भिक्षावृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार और संबंधित अधिनियमों के परिपालन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत बाल श्रम, बच्चों का शोषण और भिक्षावृत्ति पूर्णत: प्रतिबंधित किए गए हैं।

बाल श्रम के उन्मूलन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 24, 39 और 45 में प्रावधान किए गए हैं, जिनके अंतर्गत बच्चों को शोषण से बचाने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1974, मध्य प्रदेश नियम 1977, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 (संशोधन 2016 और नियम 2017) इन सभी कानूनों के तहत बच्चों को श्रम से दूर रखने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था की गई है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रम में नियोजित करना पूर्णत: प्रतिबंधित है। 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को किसी भी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य कराना दंडनीय अपराध है। बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करना, उनका शोषण करना या शिक्षा से वंचित रखना अवैध और दंडनीय कृत्य माना जाएगा।

कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने निर्देश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या संस्था बच्चों को श्रम के लिए मजबूर करती है, खतरनाक कार्यों में लगाती है या भिक्षावृत्ति कराती है, तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और समाजसेवी संगठनों की एक संयुक्त टीम गठित की गई है। यह टीम नियमित रूप से निरीक्षण करेगी और बाल श्रम, शोषण या भिक्षावृत्ति के मामलों पर त्वरित कार्रवाई करेगी। इसके अतिरिक्त, समाज में जागरूकता लाने के लिए स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाए जाएंगे।

किसान हितों की पर्याय भाजपा सरकार : युवा नेता शर्मा

उमरिया, देशबन्धु। किसानों को अब पांच रुपये में मिलेगा बिजली का स्थाई कनेक्शन माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के इस ऐतिहासिक निर्णय पर उमरिया जिला युवा नेता दीपक शर्मा जी ने आत्मीय साधुवाद दिया है। आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के ओजस्वी निर्णय से निश्चित्तरूप से प्रदेश के अन्नदाताओं की दिशा और दशा सुधरेगी।

किसानों की आय बढ़ाने और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओ के सकारात्मक परिणाम मिल रहे है। मध्यप्रदेश जैविक खेती में अपनी विशेष पहचान ईस्थापित करे इस हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे है। डबल इंजन की सरकार कृषकों का जीवन उन्नत बनाने खेती को बेहतर बनाने, नवीन तकनीक अपनाने और किसानों के बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। किसान हितैषीनीतियों-निर्णयों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतरीन कार्य कर रहे है। गेहूँ का समर्थन मूल्य 2600 रुपये करने और धान उपार्जन पर 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि देना आजाद भारत के इतिहास में किसान कल्याण की दिशा में किया गया ऐतिहासिक कार्य है। दीपक शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। गेहूँ और धान पर दिए जा रहे प्रोत्साहन के समान ही दुग्ध उत्पादन पर भी प्रोत्साहन स्वरूप बोनस प्रदान करने की योजना सरकार बना रही है। दस से अधिक गाय पालने वालों को अनुदान दिया जाएगा।

गांव-गांव में गोपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान दिया जाएगा। गौ-शाला चलाने वालों को प्रति गाय 20 रुपये के स्थान पर 40 रुपये का अनुदान देकर गौ-शालाओं को सक्षम बनाने का कार्य डबल इंजन की सरकार करेगी। बेसहारा, अशक्त और वृद्ध गौ-माताओं के आश्रय के लिए भोपाल सहित सभी बड़ी नगर निगमों में 10 हजार क्षमता की गौ-शालाएं बनाई जाएगी। जो गौ संवर्द्धन की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।